इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016—आषाढ़ 9, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ ए 1-1-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

विद्यमान शीर्षक ''अठारह'' तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''अठारह—नगरीय विकास एवं आवास''.

2. अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक ''अठारह—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग'' तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

''अठारह—नगरीय विकास एवं आवास विभाग''.

(अ) **विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :**

1. पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मानिटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन.

2. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण, नगरीय महायोजनाओं (मास्टर प्लान) और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.

3. राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय.

4. नगर तथा ग्राम निवेश.

5. वास्तुकला.

6. नगरीय विकास, गंदी बस्ती उन्मूलन सुधार योजनाओं को छोड़कर.

7. राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन एवं समन्वय.

8. आवास स्थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है.

9. कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन.

10. नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन, अर्थात् निगम, नगरपालिका समितियां और अधिसूचित क्षेत्र समितियां और अन्य विभागों को न सौंपे गए ऐसे निकायों से संबंधित समस्त विषय.

11. रेल, समुद्र या वायुयान द्वारा ले जाई गई वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर.

12. मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन.

13. नगरीय क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें (नगरीय क्षेत्रों में) पशु अतिचार की रोकथाम.

14. नगरीय क्षेत्रों में शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान.

15. निगमों, नगरपालिका समितियों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले.

16. सड़कों या अन्तर्देशीय जलपथों से ले जाई गई वस्तुओं और यात्रियों पर कर.

17. भंगियों के लिए आवास.

18. नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) सफाई (मेहतर का काम और स्वच्छता).

(ख) घृणास्पद व्यापार और न्यूसेंस.

(ग) सूअरखाना और पशुपालन.

(घ) मृतकों की व्यवस्था.

19. नगरीय क्षेत्रों में पान्थशाला और पान्थाशाला पाल.

20. घरों और भवनों की प्रकाश और संवातन व्यवस्था.

21. नई सड़कें और भवन.

22. विभिन्न अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण.

23. नगरीय महायोजनाओं (मास्टर प्लान) और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन.

24. गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार योजनाएं.

25. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वय.

26. नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका परिवीक्षण (मानिटरिंग) करना.

27. नगरीय क्षेत्रों के परिवहन का विकास और विनियमन.

28. जनश्री बीमा योजना (नगरीय क्षेत्र).

29. आग की रोकथाम.

30. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) **विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :**

1. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956.

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961.

3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो).

4. भिलसा रामलीला विधान, 1956.

5. सिंहस्थ मेला अधिनियम.

6. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो).

7. स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो).

8. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984.

9. मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976.

10. मध्यप्रदेश साइकल रिक्शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 36 सन् 1984).

11. मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001).

12. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973).

13. मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 (क्रमांक 41 सन् 1961).

14. मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948.

15. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973).

16. मध्यप्रदेश नगर तथा परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1960).

17. मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 (क्रमांक 17 सन् 1976).

18. मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948.

19. अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952.

20. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012.

21. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय.

2. नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय.

3. नगरीय परियोजना संचालनालय.

4. राजधानी परियोजना प्रशासन.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

1. नगर निगम.

2. नगरपालिकाएं.

3. नगर पंचायत.

4. मध्यप्रदेश गंदी बस्ती निवारण मण्डल.

5. समस्त नगर विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.

6. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ.

7. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.

8. राज्य कर्मचारी आवास निगम.

(उ) **ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय :**

कुछ नहीं.

(ऊ) **विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :**

1. नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1972.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश योजना राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1977.

3. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988.''.

3. नियम 2 में, अनुक्रमांक ''पैंसठ'' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

''छियासठ—पर्यावरण विभाग''.

4. अनुसूची में,—

विद्यमान शीर्षक ''पैंसठ'' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

''छियासठ—पर्यावरण विभाग

(अ) **विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :**

1. राज्य की पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्मक योजना, सुरक्षा, परिरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय.

2. सभी प्रकार के प्रदूषण तथा उनका विरोध.

3. पर्यावरण शोध तथा विकास शिक्षा, प्रशिक्षण सूचना तथा जागरूकता.

4. पर्यावरण प्रभाव आकलन.

5. जलवायु परिवर्तन तथा उससे संबंधित मामले.

6. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रकरणों में समन्वय.

(आ) **विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :**

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6)

2. जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974 (1974 का 6)

3. वायु (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 (1984 का 14)

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)

(इ) **विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :**

1. पर्यावरण आयुक्त कार्यालय.

(ई) **अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :**

1. मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल.

2. पर्यावरणात्मक तथा समन्वयन संगठन.

(उ) **ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा मण्डल :**

कुछ नहीं.

(ऊ) **विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :**

कुछ नहीं.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ ए 1-1-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 1-1-2015-एक(1), दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th June 2016

No. F A 1-1-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—

For the existing heading "XVIII" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XVIII—URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING".

2. In the Schedule,—

(1) For the existing heading "XVIII" URBAN DEVELOPMENT AND ENVIROMENT DEPARTMENT" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"XVIII—URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT

(A) **Matters of policy dealt within the Department :**

1. Implementation of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron ka Pradan kiya Jana) Adhiniyam, 1984 including monitoring the progress of distribution of lease documents.

2. Madhya Pradesh Nagriya Kshetron ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron ka Pradan kiya Jana) Adhiniyam, 1984 including monitoring the progress of distribution of lease documents, progress of slum clearance and improvement schemes under implementation by various agencies, consequential amendment of Urban Master Plan and any other activities relaring thereto.

3. All subject matters relating to Capital Project and its administration.

4. Town and Country Planning.

5. Architecture.

6. Urban Development excluding Slum Clearance Improvement Schemes.

7. All subject concerning State Policy of urban housing and implementation and co-ordination of urban housing schemes.

8. Letting or subletting of accommodation which includes its acquisition and requisition.

9. allotment of funds and administrative approval to the construction of, residential buildings belonging to the common pool.

10. Local Government in the urban areas that is Corporations, Municipal Committees and Notified Area Committees and all matters relating to such bodies not assigned to other Departments.

11. Taxes imposed by urban local bodies except terminal taxes on goods or passengers carried by railways, sea or air.

12. Administration of Madhya Pradesh Octroi Compensation Fund.

13. Pounds and prevention of cattle trespass in urban areas.

14. Burials and burial grounds, crematoria and cremation grounds in urban areas.

15. Markets under the management of Corporations, Municipal Committees and Notified Area Committees and Fairs in urban areas.

16. taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways.

17. Housing for sweepers.

18. Public Health sanitation in urban areas, including—

    (a) Conservancy (scavenging and cleaning).

    (b) Offensive trades and nuisances.

(c) Pigsties and keeping of animals.

(d) Disposal of dead.

19. Inns and Innskeepers in urban areas.

20. Lighting and ventilation of houses and buildings.

21. New streets and buildings.

22. Monitoring progress of slum clearance and improvement schemes under implementation by various agencies.

23. Consequential amendment of urban master plans and any other activities relating thereto.

24. Slum clearance improvement schemes.

25. Determination and Co-ordination of housing policies for poor in urban areas.

26. Devising and monitoring specific schemes for the upliftment of the poor in urban areas.

27. Development and regulation of transport in urban areas.

28. Janshree Bima Yojna (urban area).

29. Fire Prevention.

30. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matter allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, deputation, promotions, provident funds, Punishments and memorials.

(B) **Acts and Rules administered by the Department :**

1. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956.

2. Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

3. Cattle Trespass Act, 1971 (in its application to urban local areas).

4. Bhilsa Ramlila Vidhan, 1956.

5. Simhastha Mela Adhiniyam.

6. Prevention of Cruelty to Animals (in its application to urban loclal areas).

7. Slaughter of Animals Act (in its application to urban local areas).

8. Madhya Pradesh Nagriya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaro Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

9. Madhya Pradesh Gandi Basti Kshetra (Sudhar Tatha Nirmulan) Adhiniyam, 1976.

10. Madhya Pradesh Cycle-Rickshaw (Anugyaptiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 36 of 1984).

11. The Madhya Pradesh Vrikshon Ka parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001).

12. Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

13. Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 (No. 41 of 1961).

14. The Madhya Pradesh Regulation of Uses of land Act, 1948.

15. The Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973).

16. Madhya Pradesh Town Periphery Control Act, 1960.

17. Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 1976 (No. 17 of 1976).

18. Madhya Pradesh Acquisition Act, 1948.

19. Achal Sampatti (Adhigrahan Tatha Arjan) Adhiniyam, 1952.

20. Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012.

21. Madhya Pradesh Nagar Thata Gram Nivesh Niyam, 1975.

(C) **Directorate and offices coming under the Department :**

1. Directorate of Urban Administration and Development.
2. Directorate of Town and Country Planning.
3. Directorate of Urban Projects.
4. Capital Project Administration.

(D) **Boards and Corporations set up under Acts :**

1. Municipal Corporations.
2. Municipalities.
3. Nagar Panchayats.
4. Madhya Pradesh Slum Clearance Board.
5. All Town Development Authorities and Special Area Development Authorities.
6. Madhya Pradcsh Vikas Pradhikaran Sangh.
7. Madhya pradesh Grih Nirman Evam Adhosanrachna Vikas Mandal.
8. Rajya Karmchari Aavas Nigam.

(E) **Other Institutions and Bodies not covered under (D) above :**

NIL.

(F) **Name of Service, if any, coming under the Department and special Service Matters, if any :**

1. Town and Country Planning Class-III Ministerial and Non-Ministerial Service Rules, 1972.
2. Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and II) Service Recruitment Rules, 1977.

3. Madhya Pradesh Vikas Pradhikaran Seva (Adhikari Tatha Sevak) Bharti Niyam, 1988."

3. In rule 2, after serial number "LXV" and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"LXVI—ENVIROMENT".

4. In Schedule,—

alter the existing heading "LXVI" and entries relating thereto, the following heading and entries relating threreto shall be added, namely :—

"LXVI—ENVIROMENT DEPARTMENT

(A) **Matters of Policy dealt within the Department :**

1. State Environment policy and Environmental Planning, all subjects connected with safeguard. preservation and co-ordinated development.
2. All types of pollution and their prevention.
3. Environment Research and Development education, training, information and awareness.
4. Environmental Impact Assessment.
5. Climate change and all other matters related thereto.
6. Co-ordination of cases releted to National Green Tribunal.

(B) **Acts and Rules administered by the Department :**

1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 (No. 6 of 1974).
2. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (No. 3 of 1977).
3. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 ot 1981).
4. The Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 ot 1986).

(C) **Directorate and offices coming under the Department :**

1. Office of Environment Commissioner.

(D) **Boards and Corporations set up under Acts :**

1. Madhya Pradesh Pradushan Nivaran Mandal.
2. Environmental Planning and Co-ordination Organization.

(E) **Other Institutions and Boards not covered under (D) above :**

NIL.

(F) **Name of Service, if any, coming under the Department and Special Service matters, if any :**

NIL.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.